भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5177

उत्तर दिनांक 02/04/2025 को दिया गया

राष्ट्रीय दुर्लभ खनिज नीति

5177. एडवोकेट डीन कुरियाकोस

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) राष्ट्रीय दुर्लभ खनिज नीति के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) दुर्लभ खनिज तत्वों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने भारत के दुर्लभ खनिज क्षेत्र के बारे में कोई आर्थिक प्रभाव संबंधी आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने हेतु वर्ष 2025 में राष्ट्रीय अमूल्य खनिज मिशन (एनसीएमएम) आरम्भ किया है। एनसीएमएम के तहत, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) को वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक 1200 अन्वेषण परियोजनाओं को अंजाम देने का दायित्व सौंपा गया है।

(ख) विरल मृदा तत्वों (आरईई) की आयात निर्भरता को कम करने के लिए, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) भारी खनिज स्रोतों जिसमें मोनाज़ाइट (टीएच और आरईई युक्त एक फॉस्फेट खनिज) और ज़ेनोटाइम (यिट्रीयम और आरईई का एक फॉस्फेट खनिज) शामिल हैं, के संवर्धन के लिए देश के तटीय / अंतर्देशीय / नदी तटीय प्लेसर रेत और साथ ही देश के कई संभावित भूवैज्ञानिक क्षेत्रों (कठोर चट्टानों) में आरईई के स्रोत को बढ़ाने के लिए अन्वेषण कर रहा है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान, जीएसआई ने विरल मृदा तत्वों (आरईई) सहित महत्वपूर्ण खनिजों पर 368 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं और वर्ष 2024-25 के लिए, जीएसआई ने

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 की पहली अनुसूची के भाग डी में निर्दिष्ट आरईई सहित अमूल्य खनिजों की खनिज क्षमता का आकलन करने के लिए 195 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (आईआरईएल) की मुख्य जिम्मेदारी भारत में खनिज मोनाज़ाइट युक्त विरल मृदा (आरई) से उच्च शुद्ध विरल मृदा ऑक्साइड के रूप में विरल मृदा तत्वों का उत्पादन करना है। आईआरईएल तीन स्थानों पर प्रचालित है जिसमें से एक सुविधा एकीकृत खनन और खनिज रेत के प्रसंस्करण से संबंधित है और अन्य प्रत्येक सुविधा विरल मृदा दुर्लभ मृदा के निष्कर्षण और शोधन के लिए है। भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में तीन और रिजर्व निक्षेपों के लिए आशय पत्र (एलओआई) मिलने के बाद स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

(ग) आईआरईएल के कार्यों के हिस्से के रूप में, आईआरईएल प्रत्येक स्थान पर खनन कार्य करने से पहले विरल मृदा के खनन की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है।

*****